भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 717

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

विदेश में महिला कल्याण के लिए वन स्टॉप सेंटर

717 सुश्री इकरा चौधरी :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेश में महिला कल्याण हेतु योजना के अंतर्गत अब तक देश-वार कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किये गए हैं ;

(ख) क्या सरकार के पास अब तक वन स्टॉप सेंटरों द्वारा प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या संबंधी आंकड़े हैं और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 2024-25 के बाद भी वन स्टॉप संटर योजना को जारी रखने का विचार है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विदेश में भारतीय महिलाओं के लिए वित्तीय, कानूनी और चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक नीतियां हैं; और

(ङ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): विदेश में संकट का सामना कर रही भारतीय महिलाओं के लिए 9 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्तावों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति ने स्वीकृति दी है। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब (जेद्दा और रियाद) में आश्रय गृहों के प्रावधान वाले 7 ओएससी और टोरंटो और सिंगापुर

में आश्रय गृहों के बिना 2 ओएससी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने अब उक्त 9 मिशनों के लिए बजट लाइन खोल दी है।

(ग) जी।

(घ) तथा (ड.): भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना सभी भारतीय मिशनों और विदेशों में स्थित केन्द्रों में की गई है ताकि प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न स्व-स्थाने(ऑन-साइट) कल्याण गतिविधियों को साधन-परीक्षण के आधार पर करने के लिए उनके द्वारा किए गए आकस्मिक व्यय को पूरा किया जा सके। आईसीडब्ल्यूएफ दिशा-निर्देशों को 1 सितंबर, 2017 से व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों ने संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों,विशेषकर महिलाओं के लाभ के लिए स्व-स्थाने(ऑन-साइट) कल्याण गतिविधियों के दायरे का काफी विस्तार किया है जिन्हें कोष के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। ये दिशा-निर्देश तीन प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं अर्थात् संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना (बोर्डिंग और लॉजिंग,हवाई यात्रा,कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, पार्थिव शरीर का परिवहन), सामुदायिक कल्याण गतिविधियाँ और कांसुलर सेवाओं में सुधार। इनमें अब बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों वाले देशों में कानूनी पैनल स्थापित करने,कैदियों की रिहाई के लिए छोटे-मोटे अपराधों के लिए जुर्माना/दंड का भुगतान और विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के प्रावधान भी शामिल हैं। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत जरूरतमंद भारतीय महिलाओं को भी परामर्श और कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें उनके प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों ने परित्यक्त कर दिया है।

******